इस पॉलिसी में, निवेश पोर्टफ़ोलियो में निवेश जोखिम को पॉलिसीधारक द्वारा वहन किया जाएगा.

''यूनिट लिंक्ड बीमा उत्पाद, कॉन्ट्रैक्ट के पहले पाँच वर्षों के दौरान कोई नकदीकरण प्रदान नहीं करते हैं. पॉलिसीधारक, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस उत्पादों में निवेश किए गए पैसे को पाँचवें वर्ष के अंत तक पूरी तरह से या आंशिक रूप से सरेंडर या वापस नहीं ले पाएंगे.''

एसबीआई लाइफ - ईवेल्थ इंश्योरेंस क्यों?

जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आर्थिक सुरक्षा का आश्वासन होना ज़रूरी है. एसबीआई लाइफ - ईवेल्थ इंश्योरेंस, एक इंडिविजुअल नॉन-पार्टिसिपेटिंग यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद के साथ अब आप ऑनलाइन प्लान खरीदते हुए कुछ आसान स्टेप्स में अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं और आजीवन अपने परिवार को सुरक्षित करने के साथ ही अपनी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण कर सकते हैं.

मुख्य विशेषताएँ

- लाइफ इंश्योरेंस कवर और मार्केट लिंक्ड प्रतिफलों के दोहरे लाभ
- ऑटोमैटिक असेट अलोकेशन के माध्यम से झंझट-मुक्त निवेश प्रबंधन
- दो प्लान विकल्पों का पर्याय - ग्रोथ और बैलेंस्ड, पॉलिसी अवधि के दौरान इक्विटी, डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में प्राप्त पहुँच के आधार पर.
- प्रीमियमों की शुरूआत ₹2,000 प्रति माह जितनी कम राशि से
- कोई प्रीमियम आबंटन प्रभार नहीं, जिससे आपका फंड मूल्य बढ़ता है
- आसान और सरल 3 स्टेप वाली ऑनलाइन खरीद प्रक्रिया
- छठे पॉलिसी वर्ष से आंशिक निकासी के माध्यम से नकदीकरण
- आप अपने अदा किए गए प्रीमियमों पर धारा 80C का लाभ और साथ ही परिपक्वता राशि पर धारा 10(10D) के अंतर्गत लाभ पा सकते हैं, जो शर्तों के अधीन है.

*कर लाभ आयकर कानूनों के अनुसार हैं और समय-समय पर बदलाव के अधीन हैं. कृपया विवरण के लिए अपने कर सलाहकार से सलाह लें.

उदाहरण

सुश्री तिया ने एसबीआई लाइफ - ईवेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है. जिसके विवरण नीचे दिए अनुसार हैं :		
आयु – 28 वर्ष	प्लान प्रकार – नियमित बारंबारता – वार्षिक	पॉलिसी अवधि – 30 वर्ष प्रीमियम भुगतान अवधि (पीपीटी) – 30 वर्ष
प्रीमियम – ₹1,00,000 प्रति वर्ष	आश्वासित राशि – ₹10,00,000	प्लान के विकल्प – ग्रोथ प्लान

1. **परिपक्वता लाभ (एकमुश्त)**
   परिपक्वता दिनांक पर, माने गए निवेश रिटर्न के आधार पर तिया का परिपक्वता लाभ नीचे दिए अनुसार है :

2. मृत्यु लाभ (एकमुश्त)

20वें पॉलिसी वर्ष के दौरान, तिया की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में, माने गए निवेश प्रतिफलों के आधार पर मृत्यु लाभ नीचे दी गई तालिका के अनुसार होता है :

मृत्यु लाभ
इन मानी गई दरों^^ पर :
4% की दर पर ₹25,79,564
8% की दर पर ₹40,42,420

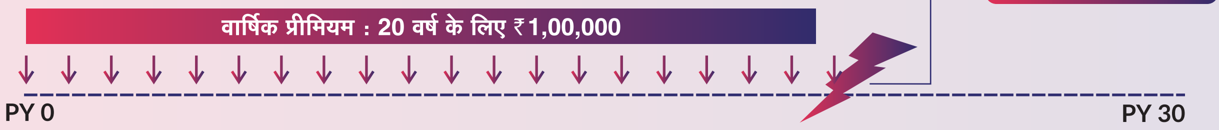

^^फंड मूल्य संबंधी आँकड़े उदाहरण के उद्देश्यों से हैं और वे स्वस्थ जीवन के लिए हैं. कृपया ध्यान दें कि ऊपर वर्णित 4% और 8% प्रति वर्ष की मानी गई रिटर्न की दरें क्रमश: लागू प्रभारों पर विचार करने के बाद इन दरों पर केवल उदाहरणात्मक परिदृश्य हैं. ये गारंटीशुदा नहीं हैं और ये रिटर्न की उच्चतर या निम्नतर सीमाएँ नहीं हैं. यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद बाज़ार के जोखिम के अधीन हैं. इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उपलब्ध अलग-अलग फंड्स संबंधित फंड्स के नाम हैं तथा किसी भी रूप में इन प्लान की गुणवत्ता, भावी संभावनाओं या रिटर्न का संकेत नहीं हैं. अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने पॉलिसी विशिष्ट लाभ उदाहरण के लिए निवेदन करें.

प्लान पर एक नज़र

<table>
<tr><td>प्रवेश पर आयु#</td><td colspan="3">5 से 50 वर्ष</td></tr>
<tr><td>परिपक्वता पर आयु#</td><td colspan="3">अधिकतम : 60 वर्ष</td></tr>
<tr><td>पॉलिसी अवधि</td><td colspan="3">10 से 30 वर्ष (दोनों शामिल)</td></tr>
<tr><td>प्रीमियम भुगतान मोड</td><td colspan="3">नियमित</td></tr>
<tr><td>प्रीमियम भुगतान की बारंबारता</td><td colspan="3">वार्षिक और मासिक</td></tr>
<tr><td>प्रीमियम भुगतान अवधि</td><td colspan="3">पॉलिसी अवधि के समान</td></tr>
<tr><td rowspan="4">प्रीमियम रेंज
(₹100 के गुणकों में)</td><td rowspan="2">प्रीमियम भुगतान की बारंबारता</td><td colspan="2">प्रीमियम रेंज</td></tr>
<tr><td>न्यूनतम</td><td>अधिकतम</td></tr>
<tr><td>वार्षिक</td><td>₹24,000 प्रति वर्ष</td><td>कोई सीमा नहीं, बोर्ड द्वारा मान्य अंडरराइटिंग पॉलिसी के अधीन</td></tr>
<tr><td>मासिक</td><td>₹2,000 प्रति महीना</td><td>कोई सीमा नहीं, बोर्ड द्वारा मान्य अंडरराइटिंग पॉलिसी के अधीन</td></tr>
<tr><td>मूल आश्वासित राशि</td><td colspan="3">वार्षिकीकृत मूल प्रीमियम^ * 10</td></tr>
</table>

#इस दस्तावेज़ में उल्लेखित आयु का संदर्भ पिछले जन्मदिन की आयु है.
^जहाँ वार्षिकीकृत प्रीमियम यानी लागू करों को छोड़कर एक वर्ष में देय प्रीमियम राशि.

टिप्पणी :

1. यदि बीमित व्यक्ति नाबालिग है, तो पॉलिसी की अवधि को उचित रूप से चुना जाना चाहिए ताकि परिपक्वता तिथि पर बीमित व्यक्ति कम से कम वयस्क हो.
2. यदि बीमित व्यक्ति नाबालिग है, तो पॉलिसी शुरू होने की तारीख और जोखिम शुरू होने की तारीख समान होगी और पॉलिसीधारक/प्रस्तावक माता-पिता, दादा-दादी या कानूनी अभिभावक हो सकते हैं. यह हमारी बोर्ड मान्य अंडरराइटिंग नीति के अनुसार होगा.
3. उत्पाद के अंतर्गत टॉप अप प्रीमियमों की अनुमति नहीं है.

रियायतों की निषिद्धता

समय समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41 के अनुसार :

क) कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी व्यक्ति को, जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के लिए बीमा करवाने या इसका नवीनीकरण करवाने या बीमा पॉलिसी जारी रखने के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो कोई प्रलोभन दे सकता है, न ही देय कमीशन से सम्पूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट दे सकता है, न ही पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम पर किसी तरह की छूट दे सकता है, न ही बीमा पॉलिसी लेने वाला या इसका नवीनीकरण करवाने या इसे जारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति किसी तरह की छूट स्वीकार कर सकता है, बशर्ते प्रकाशित विवरण पुस्तिका या बीमाकर्ता की तालिका के अनुसार इस तरह की छूट की अनुमति दी गई हो.

ख) किसी भी व्यक्ति द्वारा इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने में चूक करने पर वह जुर्माने का पात्र होगा जो दस लाख रूपए तक हो सकता है.

Toll-free No.: 1800 267 9090 | SMS '**LIBERATE**' to 56161 | **Email:** info@sbilife.co.in | **Web:** www.sbilife.co.in
(Between 9.00 am & 9.00 pm)

एसबीआई लाइफ-ईवेल्थ इंश्योरेंस, एक इंडिविजुअल, यूनिट-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग, लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद है.

फ़र्ज़ी फोन कॉल्स और जाली/धोखाधड़ी के ऑफ़र्स से सावधान :
IRDAI इंश्योरेंस पॉलिसी बिक्री, बोनस की घोषणा या प्रीमियम के निवेश जैसी किसी भी प्रकार की गतिविधियों में शामिल नहीं है. इस प्रकार के फोन कॉल्स प्राप्त करने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे पुलिस में शिकायत दर्ज करें.

यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद पारंपरिक इंश्योरेंस उत्पादों से अलग होते हैं और ये बाज़ार के ज़ोखिमों के अधीन हैं. यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम, पूँजी बाज़ार से संबंधित निवेश जोखिम के अधीन होता है और यूनिट की एनएवी, फंड की कार्यकुशलता तथा पूँजी बाज़ार को प्रभावित करने वाले घटकों के आधार पर कम या अधिक हो सकता है, और अपने निर्णय के लिए पॉलिसीधारक/बीमित स्वयं उत्तरदायी है. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड केवल इंश्योरेंस कंपनी का नाम है और एसबीआई लाइफ-ईवेल्थ इंश्योरेंस एक यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, और यह किसी भी रूप में कॉन्ट्रैक्ट की गुणवत्ता, इसकी भावी संभावनाओं या रिटर्न का संकेत नहीं है. कृपया संबंधित जोखिम तथा लागू प्रभारों की जानकारी के लिए अपने बीमा एजेंट या मध्यस्थ से सम्पर्क करें या अपने बीमाकर्ता के पास मौजूद दस्तावेज देखें. इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उपलब्ध अलग-अलग फंड्स केवल फंड के नाम हैं तथा किसी भी रूप में इन प्लान की गुणवत्ता, भावी संभावनाओं तथा रिटर्न का संकेत नहीं हैं. फंड विकल्पों का पिछला कार्यनिष्पादन भावी कार्यनिष्पादन का संकेत नहीं करता. इस पॉलिसी के अंतर्गत देय सभी लाभ कर कानूनों और समय समय पर प्रभावी अन्य वित्तीय कानूनों के अधीन हैं, कृपया विवरण के लिए अपने कर सलाहकार से सलाह लें. जोखिम कारकों, नियमों व शर्तों के बारे में अधिक विवरण के लिए कृपया बिक्री पूर्ण करने से पहले सेल्स ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें. ऊपर प्रदर्शित ट्रेड लोगो भारतीय स्टेट बैंक का है और लाइसेंस के तहत एसबीआई लाइफ द्वारा प्रयुक्त किया गया है. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय : नटराज, एम. वी. रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जंक्शन, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 069. **IRDAI पंजीकरण संख्या 111** | CIN : L99999MH2000PLC129113.

NW/1Q/ver1/03/22/SP/HIN